



बिहार सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14

शुद्धि-पत्र

परिवार कल्याण उपकरण यथा Minilap Kit, NSV Kit एवं IUD Kit के दर निर्धारण हेतु PR संख्या 8768(नि.नि.) 11-12 दिनांक 21.11.11 द्वारा पूर्व में प्रकाशित निविदा के आलोक में आंशिक संशोधन किया गया है जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर देखा जा सकता है । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: दिनांक 28.12.2011 अपराह्न 3 बजे तक या इससे पूर्व। तकनीकी निविदा दिनांक 28.12.2011 को अपराह्न 4 बजे खोली जायेगी। शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

नोट: जिन निविदादाताओं द्वारा अब तक निविदा जमा की जा चुकी है को सूचित किया जाता है कि कार्यालय से निविदा वापस लेकर शुद्धि-पत्र के आलोक में वांछित कागजातों के साथ पुनः निविदा जमा कर।

सचिव स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

वेबसाईट पर अपलोड की जाने वाली सामग्री

परिवार कल्याण उपकरण यथा Minilap Kit, NSV Kit एवं IUD Kit के दर निर्धारण हेतु आमंत्रित निविदा में **निम्नांकित बिन्दु को जोड़ा गया है।**

1. सभी उपकरण ISI/CE प्रमाणित होनी चाहिए एवं सभी उपकरणों पर ISI/CE (जैसा उपयुक्त हो) का मुहर भी अंकित होनी चाहिए।
2. सभी उपयुक्त उपकरणों का जिलों में प्राप्ति से दो वर्ष तक की warranty होनी चाहिए।
3. उपकरण निर्माण करने वाली कम्पनी का Authorization Certificate भी समर्पित किया जाना है।
4. Annexure - I में IUD Set हेतु क्र०सं० 11 में उल्लेखित उपकरण के विशिष्टता यथा Autoclave की size = 20" x 48" , Vertical Sterilizer की size = 16" x 24" होगी।
5. वीनस लाईफ साईन्स प्रा० लि० के द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में Turnover संबंधी निविदा के शर्तों में कोई भी बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया।
6. निविदादाता एजेन्सी को आपूर्ति किये जाने वाले औषधि/चिकित्सीय उपस्कर, जिसमें औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है, निर्माता का न्यूनतम तीन वर्ष पुराना एवं वैध निर्माण अनुज्ञप्ति अद्यतन नवीकरण प्रमाण-पत्र, अद्यतन Product Approval, GMP एवं Non Conviction Certificate निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को 28.12.2011 के अपराह्न 3 बजे तक विस्तारित किया जाता है। उक्त तिथि को ही 4 बजे तकनीकी बिड खोलने हेतु भी निर्णय लिया गया।
8. जिन निविदादाताओं द्वारा अब तक निविदा जमा की जा चुकी है को सूचित किया जाता है कि कार्यालय से निविदा वापस लेकर शुद्धि-पत्र के आलोक में वांछित कागजातों के साथ पुनः निविदा जमा कर।